

262



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]
No. 598]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2005/ज्येष्ठ 24, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2005/JYAISTHA 24, 1927

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जून, 2005

का.आ. 818(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 1 जुलाई, 2005 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको धारा 18 और धारा 39 के उपबंधों के सिवाय उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 40020/14/2002-सी.एच. I]
आर. आई. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2005

S.O. 818(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2005 as the date on which the provisions of the said Act, except the provisions of Sections 18 and 39, shall come into force.

[No. 40020/14/2002-CH. I]
R. I. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2005

का.आ. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों